

प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भापाल के पत्र क्रमांक 5037 दिनांक 14-09-2023 के परिपालन में जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों/ सचालकों को सूचित किया जाता है, NIC (2.0) पोर्टल वर्ष 2023-24 के आवेदन प्राप्त करने हेतु 31 दिसम्बर 2023 तक खोलने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण के आवेदन कराये, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सागर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)

क0 / पीएमएस / आ0वि0 / 2023-24 / 1422

सागर दिनांक 15/9/2023

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

क्रमांक/एस.सी.एस.टी.सेल/2023-24/ 270

दिनांक 16.09.2023

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर की प्रेस विज्ञप्ति क0/पीएमएस/आ0वि0/2023-24/1422 दिनांक 15.09.2023 अनुसार NIC(2.0) पोर्टल वर्ष 2023-24 के आवेदन प्राप्त करने हेतु 31 दिसम्बर 2023 तक खोलने की व्यवस्था की गई है। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन करें एवं आवेदन की हार्डकापी आवश्यक सहपत्रों सहित अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में जमा करें।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म.प्र.)-कृपया संबंधित छात्रों को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 उत्तम आनंद)

प्रोफेसर इंचार्ज

अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ